फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बाबूलाल बनाम गोपाल

मुकदमा नम्बर :– /

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		कुर्रेजात रिपोर्ट में रहकर आगामी दिनांक 19/7/24 को पेश हो।	
	19/7/24	वकील वादी उप.। पत्रावली बन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट के रहकर आगामी दिनांक 06/9/24 को पेश हो।	
	6/9/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर [illegible]रे/अवकाश [illegible] है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु [illegible]ांक 01/11/24 को पेश हो।	
	1/11/24	राजकीय [illegible] /अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/24 को पेश हो।	
	23/12/24	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी के वाद मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सा.कि. किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वर्ग नम्बर में दर्ज हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

मु0सं0—79 / 31 / 2018
उनवान—बाबूलाल बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांकः—23.12.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :—79 / 31 / 2018

उनवान

बाबूलाल पुत्र छोटूराम, उम्र .... वर्ष, जाति कुमावत, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. गोपाल पुत्र नन्दलाल, जाति अहीर
2. बाबूलाल पुत्र कुशालाराम कुमावत, जाति कुमावत
3. मुमताज पत्नि मखुमुद्दीन लुहार, जाति मुंसलमान
4. रामनारायण पुत्र नन्दलाल, जाति अहीर
5. रामेश्वरदयाल पुत्र कानाराम, जाति अहीर
6. रामेश्वरलाल पुत्र बींजाराम, जाति अहीर
7. शंकरलाल पुत्र बालूराम, जाति कुमावत
8. पुष्पा देवी पत्नि स्व0 रामस्वरुप, जाति ब्राहम्ण
9. नवीन पुत्र स्व0 रामस्वरुप, जाति ब्राहम्ण
10. नवनीत पुत्र स्व0 रामस्वरुप, जाति ब्राहम्ण
11. मीना पुत्री स्व0 रामस्वरुप, जाति ब्राहम्ण
12. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
13. मोतीराम पुत्र स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
14. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
15. नरसी पुत्र स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
16. झमरी देवी पुत्री स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
17. मनभरी देवी पुत्री स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
18. सुन्दर देवी पुत्री स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
19. सुरजमल पुत्र नन्दलाल, जाति अहीर
20. हरदेव प्रसाद पुत्र नाथूराम, जाति जाट

    समस्त निवासी बस स्टैण्ड, ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

21. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण—

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—23.12.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। तहसीलदार तहसील चौमूं से रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि उक्त उनवानी प्रकरण

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

में कुर्रेजात रिपोर्ट चाहे गये थे जिसकी पालना में भू0अ0नि0 हस्तेड़ा की रिपोर्ट अनुसार वादी श्री बाबूलाल पुत्र छोटूराम, जाति कुमावत द्वारा खसरा नं0 553 / 1948 रकबा 0.30 हैक्टेयर में दर्ज हिस्से 7 / 500 हिस्सेनुसार 42 वर्ग मीटर का अलग से तकासमा करवाना चाहता है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में लगभग 35–40 वर्ष पुरानी बसावट, दुकानें तथा ग्राम हस्तेड़ा का मार्केट संचालित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होकर ग्राम का मुख्य मार्केट संचालित है। अतः मौके पर उक्त खसरा नम्बर में कृषि कार्य नहीं होने के कारण पूर्णतया मौके पर बसावट, मकानात, दुकान (मार्केट) होने के कारण उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं बताया गया है। पत्रावली की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार तहसील चौमूं से प्राप्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के विवादित भूमि में कृषि कार्य न होकर मार्केट संचालित होने से वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–79 / 31 / 2018
उनवान–बाबूलाल बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांकः–23.12.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

बाबूलाल पुत्र छोटूराम, उम्र .... वर्ष, जाति कुमावत, निवासी ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. गोपाल पुत्र नन्दलाल, जाति अहीर
2. बाबूलाल पुत्र कुशालाराम कुमावत, जाति कुमावत
3. मुमताज पत्नि मखुमुद्दीन लुहार, जाति मुसलमान
4. रामनारायण पुत्र नन्दलाल, जाति अहीर
5. रामेश्वरदयाल पुत्र कानाराम, जाति अहीर
6. रामेश्वरलाल पुत्र बींजाराम, जाति अहीर
7. शंकरलाल पुत्र बालूराम, जाति कुमावत
8. पुष्पा देवी पत्नि स्व0 रामस्वरुप, जाति ब्राहम्ण
9. नवीन पुत्र स्व0 रामस्वरुप, जाति ब्राहम्ण
10. नवनीत पुत्र स्व0 रामस्वरुप, जाति ब्राहम्ण
11. मीना पुत्री स्व0 रामस्वरुप, जाति ब्राहम्ण
12. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
13. मोतीराम पुत्र स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
14. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
15. नरसी पुत्र स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
16. झमरी देवी पुत्री स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
17. मनभरी देवी पुत्री स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
18. सुन्दर देवी पुत्री स्व0 श्यामलाल, जाति जाट
19. सुरजमल पुत्र नन्दलाल, जाति अहीर
20. हरदेव प्रसाद पुत्र नाथूराम, जाति जाट
    समस्त निवासी बस स्टैण्ड, ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–79 / 31 / 2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–79/31/2018
उनवान–बाबूलाल बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक:–23.12.2024

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के विवादित भूमि में कृषि कार्य न होकर मार्केट संचालित होने से वादी का वाद पत्र इसी स्तंर पर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदीं सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 23.12.2024 को जारी किया गया।

दस्तखत..........................
सहायक कलक्टर
ओहदा.....चौमूँ (जयपुर)

मोहर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	0
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)